न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 295/2022

दायर दिनांक 01.07.2022

निर्णय दिनांक 11.03.2024

उनवान

1. कमला बानू पुत्री श्री सुभान उर्फ सुबहान पत्नी श्री कालूदीन मंसूरी उम्र वयस्क निवासी पुर हाल निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. गफूरी बानू पुत्री श्री सुभान उर्फ सुबहान पत्नी श्री नानू मोहम्मद उम्र वयस्क निवासी पुर हाल निवासी रेड़वास तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा राज0

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

उपपंजीयक महोदय, उपंजीयन कार्यालय भीलवाड़ा

विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी मुकेश धोबी

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :–

–: निर्णय :–

दिनांक 11.03.2024

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की सामलाती खातेदारी अधिकार की कृषि भुमि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर–प्रथम भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित है। जिसका विवरण इस प्रकार है:– क्रमशः 5983 रकबा 0.3161 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम सुभान उर्फ सुबहान की जगह सुल्लतान मोहम्मद अंकीत कर दिया। प्रार्थीगण के पिता का देहांत हो गया। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में भू–प्रबंधन विभाग का खसरा की प्रमाणित प्रति संलग्न प्रस्तुत की है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी के नोटिस जारी किए गए। विपक्षी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रार्थीगण अधिवक्ता की एवं राजस्थान राज्य की ओर से पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए अपने पिता का नाम सुल्लतान मोहम्मद के बजाय सुभान उर्फ सुबहान के दुरुस्त कराने की प्रार्थना की है। विपक्षी की ओर से पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र के स्वीकार करने में आपत्ती प्रकट नहीं की है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। उपयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं ग्राम पुर के आराजी नम्बर 5983 रकबा 0.3161 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के पिता का नाम सुल्लतान मोहम्मद पुत्र करीमबक्ष दर्ज होने संबंधी वर्तमान जमाबन्दी पेश की है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने जनआधार की रसीद की फोटोप्रति प्रस्तुत की जिसमें प्रार्थीगण के पिता का नाम सुबहान अंकित है। इसके साथ ही प्रार्थीगण ने स्वयं का शपथ पत्र भी पेश किया है तथा सुबहान का मृत्यू प्रमाण पत्र की फोटोप्रति प्रस्तुत की है। उपरोक्त दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीगण के पिता का नाम सुल्लतान की बजाय सुबहान संशोधन करना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का ग्राम पुर के आराजी नम्बर 5983 रकबा 0.3161 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के पिता का नाम सुल्लतान मोहम्मद पुत्र करीमबक्ष दर्ज है जिसे सुल्लतान मोहम्मद पुत्र करीमबक्ष के बजाय सुबहान पुत्र करीमबक्ष पिनारा संशोधन करने के आदेश प्रदान किए जाते है। तहसीलदार भीलवाड़ा उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधन का ईन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे।

(आह्लाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा